मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

	पंजीकरण दिनाॅक:	निर्णय दिनाॅक:	अवधि:
पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.	03/27/19	03/06/20	0 वर्ष, 11 माह, 8 दिन
एम.ए.सी.पी.संख्या–138/2019	माह/दिनाॅक/वर्ष	माह/दिनाॅक/वर्ष	

1. श्रीमती ताजबानो उम्र 25 वर्ष पत्नी स्व. कादर खान
2. माहरा उम्र 04 वर्ष नाबालिग पुत्री स्व. कादर खान
3. सुमेरा उम्र 01 वर्ष नाबालिग पुत्री स्व. कादर खान

नाबालिगान जरिए माॅ एवं प्राकृतिक संरक्षिका श्रीमती ताजबानो पत्नी स्व. कादर खान

4. लल्लू खां उम्र 69 वर्ष पुत्र स्व. बजीर

निवासियान नाहरघाटी, चिरगाॅव तहसील मोंठ, जिला झाॅसी, उ.प्र.

––––––––याचीगण

(द्वारा अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता)

प्रति

1. जितेन्द्र कुमार रायकवार पुत्र श्री सन्तोष कुमार रायकवार निवासी ग्राम व पोस्ट रामनगर, तहसील मोंठ, जिला झाॅसी, उ.प्र. ....चालक डम्पर नं. U.P. 93BT 6732
2. राकेश कुशवाहा पुत्र श्री गोविन्द दास निवासी मुहल्ला 70, परातरी, चिरगाॅव, तहसील मोंठ, जिला झाॅसी, उ.प्र. ....पंजीकृत स्वामी डम्पर नं. U.P. 93BT 6732

(विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार मिश्र)

3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, झाॅसी जरिये मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, कचहरी चौराहा, झाॅसी जिला झाॅसी, उ.प्र.

...............बीमाकर्ता डम्पर नं. U.P. 93BT 6732

(द्वारा अधिवक्ता श्री वी.के.मिश्रा)

–––––––––विपक्षीगण

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में कादर खान की मृत्यु के कारण ₹ 22,00,000/– क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची 1 के पति, 2 व 3 के पिता एवं 4 के पुत्र कादर खान दिनाॅक 17.03.2019 को दिन में पहाड़ी गाॅव में सड़क के किनारे कच्चे में खड़ी बस नं. U.P. 93AT 9874 **(प्रथम वाहन)** को उसके नीचे लेटकर उसकी रिपेयरिंग का कार्य कर रहे थे, दोपहर करीब 01:30 बजे मोंठ की ओर से डम्पर नं. U.P. 93BT 6732 **(द्वितीय वाहन)** अत्यधिक तेजी व लापरवाहीपूर्वक आया और सड़क के किनारे कच्चे में खड़ी उक्त बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे बस के पहियों में लगी रोक हट गयी व बस एकदम उक्त डम्पर की टक्कर से आगे बढ़ गयी और उक्त डम्पर के चालक ने बस के नीचे लेटे कादर खान के पैर के ऊपर से डम्पर का पहिया निकाल दिया जिससे कादर खान गम्भीर रूप से घायल हो गये जिन्हें 108 एम्बुलेंस से मेडिकल काॅलेज, झाॅसी पहुंचाया गया जहां उपस्थित डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उक्त दुर्घटना के बाद डम्पर चालक डम्पर को मौके पर छोड़कर भाग गया। उक्त डम्पर के चालक के विरूद्ध थाना चिरगाॅव में मुकद्दमा पंजीकृत कराया गया। मृतक बस व ट्रक सुधारने का कुशल मिस्त्री था और वह ₹ 6,000/– माहवार कमा लेता था।

3. विपक्षी सं. 1 व 2 क्रमशः डम्पर नं. U.P. 93BT 6732 के चालक व पंजीकृत स्वामी की ओर से 26B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि विपक्षी सं. 1 से कथित दुर्घटना नहीं हुयी है। दुर्घटना की तिथि को विपक्षी सं. 2 का वाहन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी से विधिवत बीमित था

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 16:08:00 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

तथा विपक्षी सं. 1 चालक के पास उक्त वाहन चलाने का वैध व प्रभावी चालक लाइसेन्स था तथा वाहन के सभी कागजात वैध व प्रभावी थे। यदि विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से याचीगण को क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का कोई उत्तरदायित्व पाया जाता है तो उक्त के सम्बन्ध में बीमा संविदा के अनुसार अदायगी का दायित्व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी का होगा।

4. विपक्षी सं. 3 न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कथित डम्पर सं. U.P. 93BT 6732 की बीमा कम्पनी की ओर से 21B जवाबदावा दाखिल किया गया है जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि याचिका में कथित किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित नहीं हुयी है। याचिका के कथनानुसार प्रश्नगत वाहन ट्रक व बस के दोनों चालक सहभागी हैं। इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण अधिक से अधिक कन्ट्रीब्यूटरी नेग्लीजेन्सी की परिधि के अन्तर्गत आता है। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 13.09.2019 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः–

1. क्या दिनॉक 17.03.2019 को जब आवेदक के पति, पिता एवं पुत्र कादर खान पहाड़ी गॉव में सडक के किनारे कच्चे में खड़ी बस नम्बर यू.पी. 93 ए टी 9874 उसके नीचे लेटकर उसकी रिपेरिंग का कार्य कर रहे थे कि उसी समय 1:30 बजे मोंठ की ओर से डम्पर सं. U.P. 93BT 6732 अत्यधिक तेजी व लापरवाही पूर्वक आया और सड़क के किनारे कच्चे में खड़ी उक्त बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी जिससे डम्पर की टक्कर से बस आगे बढ़ गयी और उक्त डम्पर के चालक ने बस के नीचे लेटे आवेदक गण के पति, पिता एवं पुत्र कादर खान के पैर के ऊपर से डम्पर का पहिया निकाल दिया जिससे कादर खान को गम्भीर चोटें आयी और गम्भीर चोटों के कारण अस्पताल में डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया?

या

क्या उपरोक्त दुर्घटना दोनों वाहन के चालकों की लापरवाही व योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुयी?

2. क्या दुर्घटना की दिनॉक को डम्पर सं. U.P. 93BT 6732 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेन्स था यदि नहीं तो इसका प्रभाव?

3. क्या दुर्घटना दिनॉक को डम्पर नं. U.P. 93BT 6732 विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी से बीमित था?

4. क्या याचीगण कोई क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी है यदि हॉ तो कितनी व किस विपक्षी से?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः–

1. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 7C1 के माध्यम से 8C1 लगायत 15C1/3 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आधार कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, चालक लाइसेन्स, परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा पालिसी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आदि की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याचीगण द्वारा फेहरिस्त 32C1 के माध्यम से 33C1 लगायत 33C1/20 प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोपपत्र, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, नक्शा नजरी, यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ शामिल हैं,

3. विपक्षी सं. 1 व 2 द्वारा फेहरिस्त 27C1 के माध्यम से 28C1/1 लगायत 28C1/5 जिनमें चालक लाइसेन्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट व बीमा पालिसी की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

4. याचीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्लू. 1 के रूप में याचिया श्रीमती ताजबानो एवं पी.डब्लू. 2 के रूप में आजाद को परीक्षित कराया गया है,

5. विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

7. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1</u>

8. पी.डब्लू. 1 याचिया श्रीमती ताज बानो जो कि मृतक की पत्नी है ने याचिका के समर्थन में साक्ष्य दी है किन्तु यह साक्षी मौके की साक्षी नहीं है। पी.डब्लू. 2 आजाद ने साक्ष्य दी है कि घटना दिनॉक 17.03.2019 को दोपहर 1:30 बजे पहाड़ी गॉव फोर लेन सड़क किनारे की है। कादर खान दिनॉक 17.03.2019 को दोपहर करीब 1:30 बजे पहाड़ी गॉव में सड़क किनारे कच्चे में खड़ी बस नं. 93 AT 9874 के नीचे लेटकर उसको ठीक कर रहे थे। उसी समय मोंठ की ओर से एक डम्फर नं. U.P. 93BT 6732 तेजी व लापरवाही पूर्वक आया और सड़क किनारे खड़ी बस के पीछे की ओर से जोरदार टक्कर मार दी जिससे बस के पहियों में लगी रोक हट गई और बस आगे बढ़ गयी और उक्त डम्फर के चालक ने कादर खान के पैर के ऊपर से डम्फर का पहिया निकाल दिया जिससे उसके पैर के ऊपर से डम्फर चालक ने पहिया निकाल दिया जिससे कादर खान गम्भीर रूप से घायल हो गया। वह कादर खान को 108 नम्बर की एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज, झॉसी लेकर गया था तो वहॉ डॉक्टरों ने दुर्घटना में आयी चोटों के कारण कादर खान को मृत घोषित कर दिया। उक्त दुर्घटना में सारी गलती डम्फर चालक की थी। उक्त दुर्घटना मेरे सामने घटित हुयी थी। याचीगण की ओर से दाखिल 33C1/18 नक्शा नजरी की सत्यप्रतिलिपि नक्शा नजरी निम्न प्रकार है–

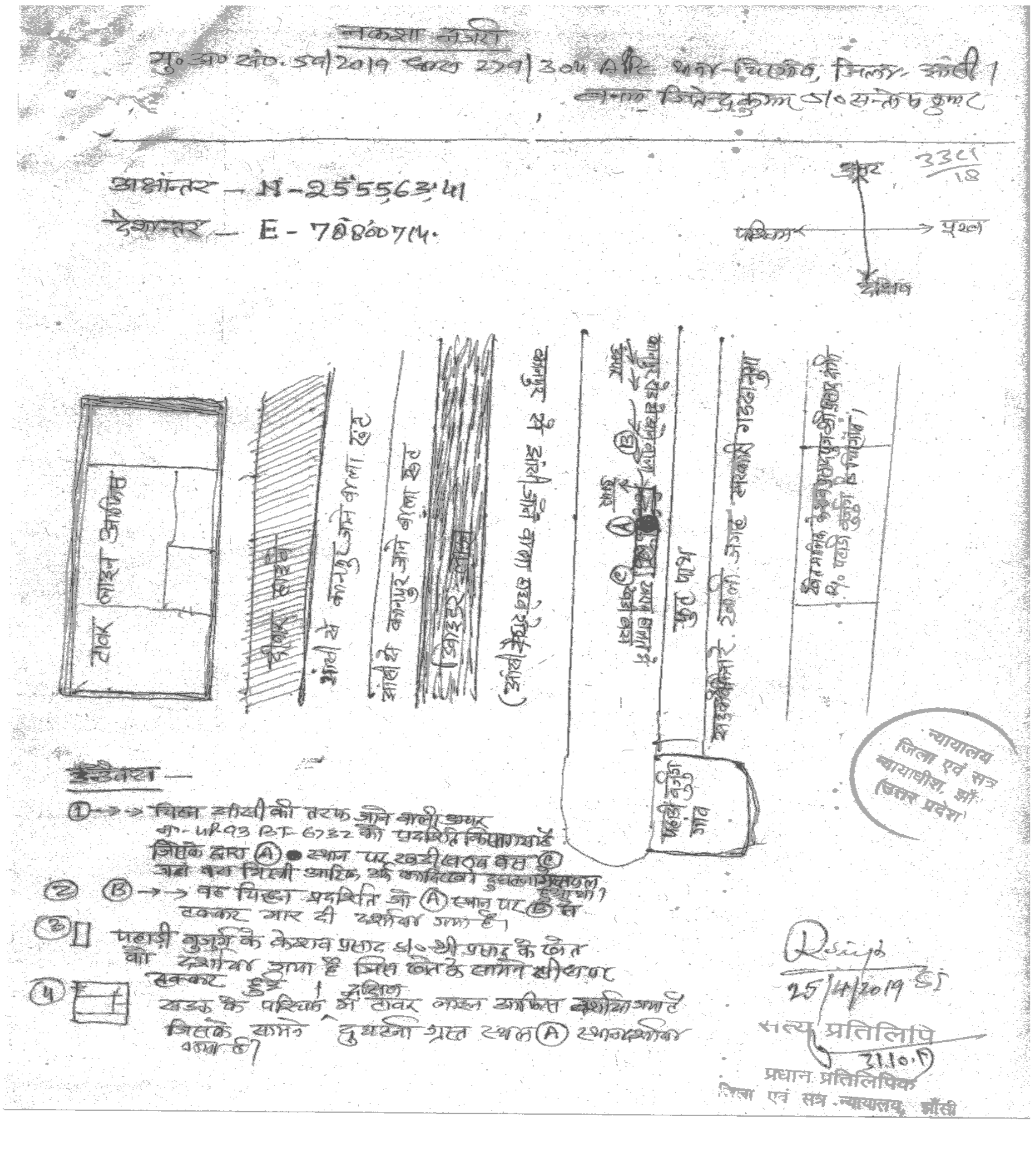

उक्त नक्शा नजरी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त दुर्घटना डम्पर नं. U.P. 93BT 6732 के चालक द्वारा सड़क के किनारे कच्चे में खड़ी उक्त बस में पीछे से टक्कर मारने के कारण हुई है। डम्पर नं. U.P. 93BT 6732 के द्वारा पीछे की ओर से टक्कर मारना डम्पर चालक की उपेक्षा का स्वयं प्रमाण है। उसी दिन 23:57 बजे दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपत्र सं. 33C1/2 दर्ज करा दी गयी है। आरोपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रपत्र सं. 33C1/5 लगायत 33C1/8 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मात्र डम्फर नं. U.P. 93BT 6732 के चालक जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध बाद विवेचना आरोपपत्र दाखिल किया गया है। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि प्रपत्र सं. 33C1/10 लगायत 33C1/16 के अवलोकन से साबित होता है कि मृतक की मृत्यु 'एण्टी मॉर्टम इंजरी आने के कारण शॉक एण्ड हेमरेज' से हुयी है। प्रश्नगत दुर्घटना आमने-सामने की नहीं है तथा पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य से डम्फर नं. U.P. 93BT 6732 के चालक द्वारा सड़क के किनारे खड़ी बस के नीचे लेटकर कादर खान द्वारा बस को सुधारते समय खड़ी बस में तेजी व लापरवाही से अपने ट्रक को चलाकर टक्कर मार देने से दुर्घटना कारित होना साबित है। विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही प्रश्नगत डम्फर के चालक को ही परीक्षित कराया गया है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है जिससे यह साबित होता हो कि बस चालक ने बस को गलत तरीके से सड़क पर खड़ा कर रखा था। अत: वाद बिंदु संख्या 1 इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि इस दुर्घटना मे डम्फर नं. U.P. 93BT 6732 के चालक की ही सम्पूर्ण लापरवाही रही है। बस चालक का इसमे कोई दोष नही है। इस दुर्घटना मे आयी चोटों के कारण कादर खान की मृत्यु हो गयी।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 11C1 डम्पर चालक जितेन्द्र कुमार रायकवार पुत्र सन्तोष कुमार रायकवार की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार यह चालन अनुज्ञप्ति दिनॉक 04.10.2008 को जारी की गयी है तथा यह दिनॉक 20.05.2020 तक ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 17.03.2019 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि डम्फर नं. U.P. 93BT 6732 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था, अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर याची की ओर से प्रपत्र सं. 14C1 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत ट्रक इंजन सं. ISB5.9B4S 180K181F63705827, चेसिस सं. MAT466458J3F19700 का बीमा दिनॉक 13.05.2017 से 12.05.2020 तक प्रभावी है। प्रपत्र सं. 10C1 आर.सी. के अनुसार उक्त इंजन सं. व चेसिस सं. डम्फर नं. U.P. 93BT 6732 के रूप मे पंजीकृत है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनॉक 17.03.2019 की है। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

चूंकि दुर्घटना डम्फर नं. U.P. 93BT 6732 के चालक की तेजी व लापरवाही के कारण हुयी है और दुर्घटना में याची सं. 1 के पति व याची सं. 2 व 3 के पिता व याची सं. 4 के पुत्र की मृत्यु हुयी है। पी.डब्लू. 1 के रूप में याची सं. 1 श्रीमती ताज बानो ने स्वयं को व याची 2 व 3 मृतक की अवयस्क पुत्रियों व याची सं. 4 ससुर को मृतक पर निर्भर होना बताया है। अतः याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस

विपक्षी से और कितनी कितनी? चूंकि वाद बिन्दु सं. 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं, अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

12. <u>क्षतिपूर्ति की गणना–</u>

पी.डब्लू. 1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने बस व ट्रक के मिस्त्री का कार्य करने से मृतक की आय ₹ 6,000/– प्रतिमाह बताई है किंतु इस संबंध में पी.डब्लू. 2 स्वतन्त्र साक्षी ने मृतक की आय के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दी है और न ही याचीगण द्वारा मृतक की आय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था <u>Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 – SC)</u> : MANU/SC/ 7368/ 2008 मे माननीय उच्तम न्यालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹ 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था <u>Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 — ALLHC)</u> : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्यालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200/– प्रतिदिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार मृतक की कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 /– निर्धारित की जाती है।

13. पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 29 वर्ष बतायी है तथा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक की आयु 32 वर्ष अंकित है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयु का निश्चायक सबूत नहीं होती है। चूँकि पी.डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 29 वर्ष बताई है जिसका खंडन नहीं हो सका है और कादर खान के आधार कार्ड पर जन्मतिथि 01/01/1990 दर्ज है अतः विधि व्यवस्था <u>National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC)</u> : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 17 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के खर्च पर 1/4 भाग की कटौती, याचीगण के पति, पिता व पुत्र की मृत्यु के दृष्टिगत वैवाहिक साहचर्य की क्षति के लिए ₹ 40,000/– व संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000/– याचीगण की आर्थिक स्थति के दृष्टिगत दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000/– निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	20790
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				62370
गुणक			17	1060290
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	1100290
संपदा की क्षति			15000	1115290
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	**1130290**
प्रथम वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			0	0
द्वितीय वाहन की योगदायी उपेक्षा (प्रतिशत में)			100	1130290
देय क्षतिपूर्ति				**1130290**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 11,30,290/– आती है। विधि व्यवस्था <u>National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 – SC)</u> : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि याचीगण मृतक के पति व पिता व पुत्रियॉ हैं अतः उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचीगण सं. 2 व 3 प्रत्येक 30 प्रतिशत व याची सं. 1 को 25 प्रतिशत व याची सं. 4

को 15 प्रतिशत का किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 – SC) : MANU/SC/1949/2009 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की सावधि जमा से प्रत्येक माह ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी सं. 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 11,30,290/– (ग्यारह लाख तीस हजार दो सौ नब्बे) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दे।

याची सं. 2 व 3 प्रत्येक उक्त क्षतिपूर्ति की धनराशि में से क्रमश: 30–30 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें जो धनराशि उनके नाम जरिये संरक्षिका मॉ याचिया सं. 1, सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा योजना में उनके वयस्क होने तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पुनर्निवेशित की जायेगी, जिसका प्रतिमाह ब्याज उक्त याचीगण प्राप्त करते रहेंगें। प्रतिकर की धनराशि में से याची संख्या 1 व 4 क्रमशः 25 प्रतिशत व 15 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे जिनमें से उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि का 80 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 3 और 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जायेगी तथा याची सं. 1 व 4 को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर की राशि में से प्रत्येक 20–20 प्रतिशत भाग नकद आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से प्राप्त करेंगे। याची सं. 1 व 4 द्वारा उक्त निवेशित धनराशि अपनी–अपनी इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 06.03.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 06.03.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी